# न्यायालय सहायक कलक्टर, दीगोद (कोटा)

| उनवान संख्या | तारीख दायरा | तारीख फैसला |
| --- | --- | --- |
| 134 / 19 | 05.11.2019 | 12 / 12/ 2019 |

पीठासीन अधिकारी – जबर सिंह (R.A.S.)

**उनवान**

सोभाग बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति गूर्जर निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादनी

**बनाम**

1. बालचन्द आत्मज छीत्या जाति धाकड
2. बनवारीलाल आत्मज छीत्या जाति धाकड निवासीगण मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट**

उपस्थित – श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट वादनी की ओर से
– श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट प्रतिवादी नं0 1 व 2 की ओर से

**निर्णय**

वादनी ने वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण अन्तर्गत धारा 88–89–188 आरटीएक्ट, इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद में ख0नं0 781 रकबा 0.71 हे0, ख0नं0 1239 रकबा 1.04 हे0, ख0नं0 1426 रकबा 0.72 हे0, ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0, ख0नं0 2144 रकबा 3.85 हे0 कुल किता 5 रकबा 6.96 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 1 व 2 के शामलाती खातें में स्थित चली आ रही थी। प्रतिवादी नं0 1 व 2 को रकम की आवश्यकता होनें पर उक्त भूमि में से ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि को दिनांक 06.05.2013 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र से वादनी को बैचान कर दी तथा मौके पर कब्जा वादनी को संभला दिया। उक्त भूमि पर बैंक का ऋण भार अंकित होनें के कारण उक्त भूमि का इंतकाल वादनी के नाम नहीं खुल सका। इस कारण उक्त भूमि प्रतिवादी नं0 1 व 2 के शामलाती खातें में दर्ज रही और प्रतिवादी नं0 1 व 2 नें उक्त भूमियों का विभाजन करवा लिया तथा वादनी को बेची गयी भूमि ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि प्रतिवादी नं0 2 के नाम जरिये नामा0 नं0 1237 से दर्ज हुई। वादनी उक्त खरीद शुदा भूमि ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि की सद्भाविक खरीदार व खातेदार हो गयी है तथा खातेदार घोषित होनें की अधिकारी है। वाद कारण दिनांक 28.10.2019 को प्रतिवादीगण को बेची गयी भूमि का इंतकाल खुलवानें बाबत् कहनें पर कोई ध्यान नहीं देनें व रहन बैचान करनें की धमकी देनें पर पैदा हुआ।

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
दीगोद (कोटा)



Scanned by CamScanner

वाद प्रस्तुत कर वादनी ने निवेदन किया कि वादनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिकी पारित की जावें– ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि प्रतिवादीगण के खातें से हटायी जाकर वादनी को खातेदार टिनेन्ट घोषित फरमाया जावें। वादनी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक स्थायी निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावें कि प्रतिवादीगण वादगत भूमि को रहन, बैचान नहीं करें। उक्त कृत्य न तो स्वयं करें और ना ही अपनें एजेन्ट से ही करवायें। प्रतिवादी नं0 3 को आदेश दिया जावें कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावें। वादनी को प्रतिवादीगण से मुकद्में का खर्चा दिलाया जावें। अन्य सहायता हो वह भी वादनी को प्रदान की जावें।

दस्तावेजी साक्ष्य में वादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये–

1. प्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम मण्डावरा सं0 2071–74 खाता नं0 361
2. छायाप्रति प्रतिलिपि रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 06.06.2013

वाद वादनी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 की ओर से वकील श्री रामप्रसाद शर्मा का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ। प्रतिवादी नं0 1 लगायत 2 की ओर से प्रकरण में इकबालिया जवाब प्रस्तुत हुआ। दौरानें वाद उभयपक्ष द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामा उपस्थित पक्षकारान् को पढकर सुनाया गया, जिस पर पक्षकारान् ने सहमति जाहिर की। वादनी की पहचान वकील श्री छीतरलाल गोचर व प्रतिवादी नं0 1 व 2 की पहचान वकील श्री रामप्रसाद शर्मा द्वारा प्रमाणित की गई। राजीनामा पर उभयपक्ष अधिवक्तागण को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेंजो का अध्ययन किया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि जमाबंदी सं0 2071–74 खाता नं0 361 के अनुसार विवादित आराजीयात् के प्रतिवादी नं0 1 व 2 सहखातेदार राजस्व अभिलेख में दर्ज थे। प्रतिवादी नं0 1 व 2 के मध्य उक्त वादगण भूमि का विभाजन नामान्तरकरण सं0 1237 दिनांक 11.09.2015 से दर्ज किया गया जिसमें ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि बनवारी के खातें दर्ज की गई, जबकि प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा उक्त ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि का बैचान जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र वादनी को कर दिया गया था। चूंकि वादनी द्वारा उक्त भूमि विधि अनुसार जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कय की गई है तथा प्रतिवादी नं0 1 व 2 द्वारा ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि का वादनी को खातेदार घोषित किये जानें की सहमति प्रदान करनें एवं उभयपक्ष के मध्य राजीनामा हो जानें के परिणामस्वरूप प्रकरण में समस्त विवाद्यको का अवसान हो जाना स्वाभाविक है तथा वादनी



सहायक ... कार्यालय ... दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि की खातेदार घोषित होनें की अधिकारिणी है। अतः उभयपक्ष की सहमति के आधार पर वाद वादनी स्वीकार योग्य है।

लिहाजा वाद वादनी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि का खातेंदार घोषित किया जाता है, ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि वादनी की पृथक खातेदारी में दर्ज की जावें, शेष यथावत् रहेगा।'' तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी हों। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनॉक 19/12/2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद
दीगोद (कोटा)

Scanned by CamScanner

अन्तिम डिक्री मुकदमा

**(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)**

**अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा**

## उनवान

सोभाग बाई पत्नी कन्हैयालाल जाति गूर्जर निवासी मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा

– वादनी

**बनाम**

1. बालचन्द आत्मज छीत्या जाति धाकड
2. बनवारीलाल आत्मज छीत्या जाति धाकड निवासीगण मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88–89–188 आर.टी.एक्ट**

**मिसल नम्बर–134/19**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ जबर सिंह आर.ए.एस. बहाजिरी श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब श्री रामप्रसाद शर्मा एडवोकेट मुद्दालयह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि "वाद वादनी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद स्थित ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि का खातेंदार घोषित किया जाता है, ख0नं0 1922 रकबा 0.64 हे0 भूमि वादनी की पृथक खातेदारी में दर्ज की जावें, शेष यथावत् रहेगा।" तदनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 19/12/2019 को जारी किया गया।

| मिलान स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प अर्जी दावा | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुद्दई | रुपये | पैसे | मुदालयह | रुपये | पैसे |
| स्टाम्प वकालतनामा | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| स्टाम्प वजूह सबूत | 0 | 0 | स्टाम्प अर्जी | 0 | 0 |
| महन्ताना वकील | 0 | 0 | महन्ताना वकील | 0 | 0 |
| खर्चा गवाहान | 0 | 0 | खर्चा गवाहान | 0 | 0 |
| बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 | बाबत इजराय हुक्मनामा | 0 | 0 |
| मुत0 | 0 | 0 | मुत0 | 0 | 0 |
| मिलान | 0 | 0 | मिलान | 0 | 0 |

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(जबर सिंह)
सहायक कलक्टर,
दीगोद



Scanned by CamScanner